



## कार्यालय, नगर पंचायत, लातेहार

जिला— लातेहार

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या — 14/2016-17

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

2<sup>nd</sup> Call



वर्ष 2016-17 में नगर पंचायत, लातेहार को राज्य आपदा मोर्चन निधि मद अन्तर्गत टैंकर के क्रय के लिये प्राप्त कुल आवंटन 6,00,000/- (छ: लाख) रुपये की राशि से टैंकर के क्रय हेतु निर्माता अथवा अधिकृत बिक्रेताओं से दिनांक 02.03.2017 के 2.00 बजे अपराह्न तक ही इच्छुक निविदादाताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित किये जाते हैं, जो नगर पंचायत, लातेहार के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। साथ ही टैंकर के क्रय हेतु निविदा दिनांक 02.03.17 को अपराह्न 3.30 बजे निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष नगर पंचायत, लातेहार के निविदा समिति द्वारा खोला जायेगा। क्रय किये जाने वाले टैंकर का विवरण निम्नवत् हैः—

क्र० सं०	क्रय किये जाने वाले सामग्रियों का विवरण	अग्रधन की राशि का विवरण	निविदा शुल्क का विवरण
01	<p><b>3KL Water Tanker</b></p> <p><b>SPECIFICATION</b></p> <p>Water Tanker having 3000 Ltrs. Capacity fabricator suitable to be attached with a tractor along with single axle 2 nos. 7.50x16 nylon tyres 12 gauges sheet antirust paint beam axle 65mm brass valve 50mm size (8x4.5x6) feet main channel 125mm etc all complete as per standard specification.</p>	30,000.00	5,000.00

### नियम एवं शर्त

- निविदादाता को अस्थितन आयकर एवं बिक्री कर स्वच्छता प्रमाण पत्र की अभिप्रामाणीत छाया प्रति संलग्न करना होगा, तथा पैन सं० एवं ऐट संख्या एवं रजिस्ट्रेशन का प्रमाणक की छाया प्रति एवं रंगीन कैटलॉग, प्रतिशिष्ठित प्रतिष्ठान का निबंधन प्रमाण पत्र एवं फर्म के काली सूची में नहीं होने का शपथ पत्र निश्चित रूप से संलग्न करना होगा।
- निविदादाता को सामानों की आपूर्ति प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान एवं सभी कर सहित दर को स्पष्ट रूप से अंकित कर निविदा देनी होगी एवं संशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों की संख्या घटाई या बढाई जा सकती है।
- निविदादाता को निविदा के साथ 05,000.00 (पांच हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक जो कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, लातेहार के नाम से देय हो निविदा शुल्क के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। जिसे वापस नहीं किया जायेगा।
- निविदादाता को सुरक्षित जमा राशि (Security Money) के रूप में 30,000/- (तीस हजार) रुपये की राशि का एन०एस०सी० (आठवां निर्गम), 3 वर्ष अवधि वार्षिक सावधि जमा पासबुक जो कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, लातेहार के पदनाम से प्रतिष्ठित (प्लेज़) होगा, अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। जिनके निविदा की स्वीकृति दी जायेगी उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षित जमा राशि (Security Money) को आपूर्ति किये गये सामग्री के एक वर्ष बीत जाने के उपरांत ही निविदादाता को वापस किया जायगा।
- निविदा का निष्पादन नगर पंचायत, लातेहार के निविदा समिति द्वारा किया जायेगा।
- निविदादाता को सामग्रियों की आपूर्ति कार्यादेश निर्गत की तिथि से 30 दिनों के अन्दर नगर पंचायत, लातेहार के कार्यालय में करना होगा। इसके लिये अलग से कोई राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। स-समय सामग्रीयों की आपूर्ति नहीं किये जाने पर निविदादाता द्वारा जमा की गई सुरक्षित जमा राशि (Security Money) की राशि जब्त कर ली जायेगी तथा दूसरे निविदाकार को सामग्रीयों की आपूर्ति करने का आवेदन निर्गत कर दी जायेगी। जिसके लिये बाद में किया गया कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने अथवा एक से अधिक निविदादाताओं के बीच बाटने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित होगा तथा उन्हें कहीं चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
- किसी भी तरह के विवाद का निष्पादन लातेहार न्यायालय में ही मान्य होगा तथा विलम्ब से भुगतान के लिये अगल से कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- निविदादाता को आपूर्ति किये गये सामग्रीयों के गुणवता का प्रमाण पत्र कनीय अभियंता, नगर पंचायत, लातेहार से उपलब्ध कराने के उपरान्त ही आपूर्ति किये गये सामग्रीयों की राशि का भुगतान किया जायेगा।
- कार्यालय अवधि में कार्यालय सुचना पट्ट/कार्यालय से सम्पर्क कर इस कार्य हेतु लागू किये गये नियम एवं शर्तों को देखा जा सकता है, या लातेहार जिला के वेबसाईट [www.latehar.nic.in](http://www.latehar.nic.in) पर देखा या डाउनलोड किया जा सकता है।

ज्ञापांक 159 / दिनांक 17-02-17

कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर पंचायत, लातेहार

नियमित

प्रतिलिपि :— डी० आई० ओ०, एन० आई० सी० लातेहार को सुचनार्थ एवं उपरोक्त निविदा को जिला के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगर पंचायत, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— उपायुक्त, लातेहार को सादर सुचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर पंचायत, लातेहार

नियमित